न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 38/2022
GCMS NO. : 2022/105

–:: सायला ::–

1. बिदामीदेवी पुत्री घीसाराम
पत्नी मोहनलाल
जाति रेगर निवासी बलाडा
तहसील जैतारण जिला ब्यावर
हाल निवासी गोपाल जी
मोहल्ला कोट गली ब्यावर
जिला ब्यावर।

बनाम

–:: गैरसायलान ::–

1. अर्जुनराम पुत्र विशनाराम
2. गुलाबी बांकोलिया पत्नी सम्पत बाकोलिया
3. छोटूराम उर्फ हेमराज पुत्र मोतीराम
4. धर्माराम पुत्र मोतीराम
5. नवलाराम पुत्र घीसा
6. पिस्तादेवी पत्नी दलाराम
7. भाणुराम पुत्र घीसा
8. हाथीराम पुत्र मोतीराम
9. श्यामलाल पुत्र मोतीराम
10. सोहनी पत्नी पुखाराम
11. ममता पुत्री पुखाराम
12. पप्पूराम पुत्र पुखाराम
13. दिनेश पुत्र पुखाराम
14. रतनलाल पुत्र पुखाराम
15. ललित पुत्र पुखाराम
16. सुनिल पुत्र पुखाराम
17. आकाश पुत्र पुखाराम
18. पिस्तादेवी पत्नी ढगलाराम
जातियान रेगर निवासीगण
बलाडा तहसील जैतारण जिला
ब्यावर।
19. तहसीलदार एवं उपपंजीयन
अधिकारी, जैतारण जिला
ब्यावर।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू: 13/09/2022

उपस्थितः– 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रार्थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:00:55 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

-:: निर्णय :- **दिनॉकः 17/08/2023**

वकील मय प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बलाडा, पटवार हल्का बलाडा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बलाडा तहसील जैतारण जिला ब्यावर में सायला की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त हिन्दू परिवार की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1268 रकबा 1.3193 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1269 रकबा 1.4973 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1308 रकबा 2.6709 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1338 रकबा 3.3346 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1340 रकबा 0.9874 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल आई हुई है। सायला की वंश वंशावली प्रार्थना-पत्र में अंकित है। वंश वंशावली अनुसार सायला स्वर्गीय घीसाराम व स्वर्गीय पानकीदेवी की जायन्दा पुत्री है तथा घीसाराम, पानकीदेवी, मोतीराम व पुखाराम का देहान्त हो चुका है। वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेन्ट सायला के पिता घीसाराम पुत्र मंगाराम की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि थी और उनके देहान्त के पश्चात वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में तत्कालीन रेवेन्यु एजेन्सी द्वारा बिना कोई घीसाजी के जायन्दा पुत्रगण पुत्रीयां एवं पत्नी तथा वारियान उतराधिकारीगण की जांच किये बगैर केवल मात्र घीसाजी के जायन्दा पुत्रगण एवं उनकी विधवा के नाम ही म्युटेशन संख्या 915 दिनांक 25/05/1991 को पारित किया गया। जो सायला के हक अधिकारो के विरूद्ध शून्य एवं बेअसर है तथा कानून की निगाह मे एक रोग एन्ट्री है क्योकि सायला स्वर्गीय घीसाजी की जायन्दा पुत्री है तथा घीसा जी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की वादग्रस्त आराजी में सायला का भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हक हिस्सा व अधिकार निहित है। सायला अपने हक-हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर वादग्रस्त आराजी का उपयोग-उपभोग करती आ रही है। इसलिए म्युटेशन संख्या 915 व उसके पश्चात उक्त अवैध शून्य निष्प्रभावी म्युटेशन के आधार पर चला आ रहा राजस्व रेकर्ड भी अवैध एवं शुन्य निष्प्रभावी है तथा सायला के हक अधिकारो के विरूद्ध शुरू से ही नल एण्ड वोईड है। सायला का घीसाजी की खातेदारी की वादग्रस्त आराजी में 1/6 हक हिस्सा निहित है तथा सायला अपने 1/6 हिस्से पर मौके पर काबिज होकर उपयोग-उपभोग करती चली आ रही है तथा सायला अपने 1/6 हक हिस्से की भूमि में अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी होकर अपने नाम की खातेदारी की घोषणा करवाने की अधिकारी होने से वाद घोषणा व यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष पेश है। मोतीराम पुत्र घीसाजी व उसकी पत्नी कानुडी का देहान्त हो गया है उनके वारिसान को बतौर [illegible] पक्षकार बनाकर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है तथा [illegible] पुखाराम नाऔलाद फौत हो चुका है तथा पुखाराम पुत्र घीसाजी [illegible] हो चुका है जिनके उत्तराधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:00:55 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण राज.

वारिसान को पक्षकार बनाकर यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। स्वर्गीय घीसाजी की पत्नी पानीदेवी जो बतौर खातेदार के वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज हो गया तथा उनके देहान्त के पश्चात उनके हक–हिस्से की भूमि उनके समस्त वारिसान पुत्री सायला एवं पुत्रगण के नाम जरिये फौतेदगी म्युटेशन के इन्द्राज किया गया। माफिक घोषणा की डिक्री के परिणाम स्वरूप सायला अपने हक–हिस्से व बंट की भूमि का कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाने की अधिकारी होने से एवं मौके पर सायला का अपने हक–हिस्से की भूमि पर कब्जा एवं उपयोग–उपभोग होने से सायला के हक–हिस्से की भूमि का नापचौप कर पत्थरगड्डी कर सायला का खाता व लगान अलग–अलग किये जाने बाबत् वादपत्र बंटवाडा व यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की दादरसी हेतू भी श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। दिनांक 08/08/2022 को गैरसायलान मौके पर सायला को ऐलानिया धमकीया दी कि राजस्व रेकर्ड में हमारा नाम दर्ज है तुम्हारा नाम इन्द्राज नहीं है। इसलिए हम उक्त भूमि को किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि करेंगे तब सायला ने सम्पूर्ण राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने पर सायला को सर्व प्रथम जानकारी हुई कि उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में सायला का नाम इन्द्राज नहीं है तब सायला ने गैरसायलान से राजस्व रेकर्ड में अपना नाम इन्द्राज करवाने का निवेदन किया तो गैरसायलान स्पष्ट रूप से इन्कार हुए एवं सायला को मौके से उसके हक–हिस्से की भूमि से बेदखल करने की ऐलानिया धमकीया दी एवं उक्त भूमि को किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, बसीयत आदि करने की धमकी दी। यदि गैरसायलान अपने इन नापाक इरादो में कामयाब हो जाते है एवं वादग्रस्त आराजी का किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि कर देते है एवं सायला को उसके हक–हिस्से की भूमि से बेदखल कर देते है तो सायला अपने जायज हक हकूको एवं अपनी पैतृक पुश्तैनी भूमि से हमेशा–हमेशा के लिये महरुम हो जायेगी एवं सायला को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी। प्रथम दृष्टया मामला सायला के पक्ष में है क्योंकि वादग्रस्त आराजी सायला की पैतृक पुश्तैनी संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित भूमि है जिसमें सायला का भी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत हक–हिस्सा व अधिकार निहित है। सुविधा का सन्तुलन भी सायला के पक्ष में है क्योंकि सायला वादग्रस्त आराजी पर अपने हक–हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है। इसलिए सायला के पास गैरसायलान द्वारा किये जा रहे गैरकानूनी कृत्यों को रोके जाने बाबत् न्यायालय की शरण के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सायला की ओर से विरूद्ध गैरसायलान की श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है।

इस पर प्रार्थीया का प्रार्थना [illegible] रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किया गया बावजूद सम्मन सूचना न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने से गैरसायलान के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 16:00:55 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक रजिस्ट्रार (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

बहस वकील वादी/सायला राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी/सायला की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः–** वाद–पत्र मय दस्तावेजात, हस्तगत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा ग्राम बलाडा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1268 रकबा 1.3193 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1269 रकबा 1.4973 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1308 रकबा 2.6709 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1338 रकबा 3.3346 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1340 रकबा 0.9874 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल को पैतृक पुश्तैनी एवं कब्जे काश्त की भूमि बताते हुए वाद बाबत् घोषणा, बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। वादपत्र में उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2041–2044 की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 1268, 1269, 1308, 1338, 1340 के तत्कालीन खातेदार घीसा पुत्र मगा कौम रेगर थे। जमाबन्दी संवत् 2045–2048 में अंकित नोट नामान्तरकरण पंजिका में अंकित म्यूटेशन संख्या 915 दिनांक 25.05.1991 में अंकित फौतेदगी म्यूटेशन में घीसा पुत्र मगा के स्थान पर इनके वारिसान मोतीराम, नवलाराम, भाणूराम, पुखाराम पि0 घीसा पानकी बेवा घीसा के नाम नामान्तरकरण भरा गया। जमाबन्दी संवत् 2049–2052, 2057–2060, 2061–2064 के अनुसार घीसा के वारिसान के रूप में मोतीराम, नवलाराम, भाणूराम, पुखाराम पि0 घीसा पानकी बेवा घीसा का नाम वादग्रस्त आराजी में खातेदार काश्तकार के रूप में चला आ रहा है। जमाबन्दी संवत् 2065–2068 के अनुसार फौतेदगी म्यूटेशन नम्बर 2107 दिनांक 29.09.2009 से मोतीराम पुत्र घीसा के स्थान पर धर्माराम, घीसाराम, श्यामलाल, हरीराम, हाथीराम, छोटूराम पि0 मोतीराम कानूडी पत्नी मोतीराम एवं पानकी के स्थान पर धर्माराम, श्यामलाल, हरिराम, हाथीराम, छोटूराम पि0 मोतीराम, कानूडी पत्नी मोतीराम, नवलाराम, भाणुराम, पुखाराम, बिदामीदेवी पि0 घीसा दर्ज किया गया। नामान्तरकण संख्या 2335 दिनांक 20.09.2011 के अनुसार बैचान से पुखाराम पुत्र घीसा के स्थान पर पिस्तादेवी पत्नी दलाराम का नाम दर्ज किया गया। इसी प्रकार जमाबन्दी संवत् [illegible] 2076 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1338, 1340 के लिए नामान्तरकरण संख्या 4097 दिनांक 28.02.2022 से जरिये बैचान [illegible] पत्नी सम्पत बाकोलिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:00:55 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
जैतारण

हिस्सा 244/1065 का नाम दर्ज किया गया। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी है। अतः मूल वाद के अनुतोष के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि पैतृक पुश्तैनी आराजी में वारिसान का जन्म से हक–अधिकार निहित होता है। साथ ही विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि पिता के निर्वसीयत फौत होने पर उसके सभी वारिसानों का उसकी संपत्ति में हक–अधिकार निहित होता है। वादीया की माता पानकी बेवा घीसा के देहान्त होने पर भरा गया फौतेदगी नामान्तरकण संख्या 2107 से वादीया का भी नाम दर्ज किया गया, जबकि पिता के देहान्त होने पर वादीया का नाम विधिक वारिसान के रूप में दर्ज नहीं किया गया। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह कतई नहीं है कि मामला पूर्णतया साबित कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया के पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में साबित हुआ है। साथ ही पैतृक पुश्तैनी आराजी में वारिसान का जन्म से निहित अपने हक–हिस्से पर सुविधा का संतुलन निहित होना माना जाता है। अतः प्रार्थीया का अपने हक–हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होना साबित होता है। अतः यह बिंदू भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** प्रथम दोनों बिंदू प्रार्थीया के पक्ष में साबित हुए है। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा भू–अभिलेख में अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर पैतृक पुश्तैनी वादग्रस्त आराजी का पूर्व में भी बैचान किया जा चुका है एवं आगे भी किसी अन्य को हस्तांतरित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी एवं प्रार्थीया को सुगम न्याय निर्णयन में अहितकारी विलंब एवं जटिलता का सामना करना पडेगा। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के हस्तगत प्रार्थना–पत्र में वर्णनानुसार अपने हक–अधिकार की आराजी का किसी अन्य को हस्तांतरण करने से उसे अधिक असुविधा होगी। इस प्रकार यदि प्रार्थीया के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीया को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक **गैरसायल संख्या 1 से 18** को प्रार्थीया के हक–हिस्से की वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने तथा वर्तमान भू–अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:00:55 IST
Reason: SelfAttested

–:: आ[illegible]

अतः उपर्युक्त विवेचन [illegible] प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी [illegible] व आदेश 39 नियम 1 व 2

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
जैतारण

सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **गैरसायल संख्या 1 से 18** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा बलाडा भू-अभिलेख निरीक्षक बलाडा तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 1268 रकबा 1.3193 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1269 रकबा 1.4973 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1308 रकबा 2.6709 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 1338 रकबा 3.3346 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 1340 रकबा 0.9874 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल में प्रार्थीया के हक-हिस्से का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी ~~मामिक~~ निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर जमा हो।

न्यायालय कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण राज.

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-ब्यावर(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 17/08/2023 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला-ब्यावर(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 18:00:55 IST
Reason: SelfAttested